अध्याय - 7

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन

का

संगम ज्ञापन

एवं

संगम अनुच्छेद

कंपनी अधिनियम, 1956
की धारा 25 के
अधीन शेयरों द्वारा सीमित लाभ मुक्त कंपनी

(दिनांक 30.10.2005 को अद्यतन किया गया और पिछला/संशोधन 18.12.2003 को किया गया)

(कंपनी अधिनियम, 1956)

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित लाभ मुक्त कंपनी)

संगम ज्ञापन

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन

(कंपनी अधिनियम, 1956)

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन शेयरों द्वारा समिति लाभ मुक्त कंपनी)

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन का संगम ज्ञापन

1. कंपनी का नाम **नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन** है ।

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित होगा ।

III. <u>उद्देश्य</u>

क. कंपनी की स्थापना जिन मुख्य उद्देश्यों से हुई है, वे हैं :

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्व के व्यवसायों तथा अन्य आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे आय स्तरों के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा कारोबारों, व्यापारों, व्यवसायों और अन्य कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना, जिनका निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाए तथा उन्हें अनुदानों, सब्सिडियों, ऋणों, अग्रिमों, जानकारी, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, प्रोसेस डिजाइन, विस्तार सहायता, निवेशों और/या कच्चे माल की आपूर्ति एवं अनुसूचित जनजातियों के विधिक रूप से व्यक्ति द्वारा एकत्रित एवं उत्पादित उत्पाद, उत्पादों तथा सामग्री का विपणन और सरकार तथा निजी वनों से प्रसंस्करण, विपणन या उससे भिन्न के लिए लघु वन उत्पादों का एकत्रीकरण कार्य करना तथा करवाना और इस मामले में सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना ।

2. अनुसूचित जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल और प्रक्रिया का उन्नयन करना, उत्पादन, प्रशिक्षण, गुणता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी और सामान्य सुविधा केन्द्रों या इकाइयों की स्थापना, संचालन और प्रबंध करना तथा इस प्रयोजन के लिए अन्य एजेंसियों, फर्मों और उद्यमों के साथ सहयोग करना और संबंध रखना ।

3. लघु, कुटीर और ग्रामोद्योग, कृषि-वानिकी या उससे भिन्न पर आधारित उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कृषि, भूमि विकास, सिंचाई, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी, मात्स्यिकी, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्पों, बुनाई, रेशम उत्पादन, बागवानी, कुक्कट पालन, मत्स्यपालन, डेयरी, सुअर पालन, बत्तख पालन,

भेड़-बकरी पालन, पशुपालन तथा अन्य जैसे संयोजन संबंधी अवसंरचनात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित, स्थापित, उन्नत, विकसित, नियंत्रित करना, स्वामित्व में रखना, संचालित करना और तथा उस प्रयोजन के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार या राज्य निगम या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता से भूमि, फार्म, व्यावसायिक संपत्ति, परिसंपत्तियाँ या अधिकार प्राप्त करना और विकसित करना और अनुसूचित जनजातियों के विकास और उन्नति की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना तथा उनके आर्थिक लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से और/या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति विकास निगमों सहित अन्य केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेंसियों एवं शीर्ष नियंत्रण, समन्वय और वित्त पोषण करने वाले राष्ट्रीय तथा अन्य स्तरों के संगठनों के सहयोग से समर्थन देना ताकि गंभीर कमियों को दूर किया जा सके और इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके ।

4. प्रायोगिक कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं को विकसित और वित्तपोषित करना और उस प्रयोजन के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्यों और सुविधाओं को निर्मित, कार्यान्वित, पूर्ण, सज्जित, उन्नत, विकसित, संचालित, प्रबंधित या नियंत्रित करना तथा ऐसे वर्गों के लिए मकानों, फैक्टरियों, संपदाओं, गोदामों, भंडारणों और अन्य संरचनाओं का निर्माण करना तथा निर्माण करवाना । इस उद्देश्य के लिए निगम अनुसूचित जाति विकास निगमों सहित अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है ।

5. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या एजेंसियों, नाबार्ड, आईडीबीआई, आईएफसीआई, एसएफसी, एसआईडीबीआई, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता एवं विकास एजेंसियों, राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार लाने के लिए समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन, जो उचित समझी जाएं, अनुदानों, सहायताओं, ऋणों, अग्रिमों या अन्य धनराशि या उससे भिन्न से जुटाना तथा ऐसी निधियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से या इसी प्रकार के उद्देश्यों का अनुसरण करने वाली संस्थाओं और एजेंसियों के माध्यम से करना; तथा

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को परियोजना तैयार करने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, वाणिज्यिक निधिकरण प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी तथा अन्य संभव वित्तीय सहायता देने के द्वारा उनकी परियोजनाओं की स्थापना करने में सहायता करना ।

ख. आनुषंगिक उद्देश्य

मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक और आनुषंगिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. देश के अंदर तथा/अथवा बाहर से उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी पूर्वापेक्षाओं को प्राप्त करना, जिन्हें कारपोरेशन उचित समझे ।

2. ऐसी पूर्वापेक्षाओं की प्राप्ति और आपूर्ति से जुड़े सभी प्रकार के वित्तीय और वाणिज्यिक बाध्यताओं, लेन-देनों और प्रचालनों का उत्तरदायित्व लेना ।

3. कारपोरेशन की शाखाओं, कार्यालयों या एजेंसियों को भारत में किसी स्थान पर स्थापित करना या उन्हें समाप्त करना ।

4. विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे सरकारी संगठन, सलाहकार बोर्ड तथा अन्य उपयुक्त निकायों को प्रोत्साहित तथा/अथवा स्थापित करना जो उपर्युक्त कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझी जाएं ।

5. देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जनजाति आबादी को मदद करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर कतिपय कार्यकलापों का चयन करना । इन कार्यकलापों का चयन सावधानी के साथ किया जाएगा, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, डिजाइन तथा विपणन की प्राप्ति को बेहतर रूप से सुव्यवस्थित किया जा सके ।

6. निर्माण, विनिर्माण, विपणन, कृषि उत्पाद, वस्तुओं, सामग्री, पदार्थ और किसी किस्म के उपकरणों के लिए भारत संघ में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों, सांविधिक निकायों, कंपनियों, फर्मों या व्यक्तियों या संगठनों के साथ संविदा करना और मांग-पत्र स्वीकार करना तथा ऐसी संविदाओं तथा लाभों के निष्पादन के लिए उनकी उपसंविदा करना या उनके संबंध में आदेश देना ।

7. सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य निचले स्तरों पर सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समझौता तथा सहयोगात्मक व्यवस्था करने के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के और उनके लिए स्व-रोजगार तथा अन्य उद्यमों को प्रोत्साहित करना और वर्तमान या नव-गठित संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता (सब्सिडी), ऋण, अनुदान और अन्य प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं पूर्तिकर सहायता की व्यवस्था करना ।

8. नवीनताओं, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को आरंभ करने और अवसंरचना संबंधी निवेश आपूर्ति, उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन की गंभीर कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के समर्थन में स्वतंत्र रूप से या अन्य

एजेंसियों के सहयोग से देश में कहीं भी विशिष्ट प्रायोगिक कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं को विकसित, संचालित एवं कार्यान्वित करना ।

9. आरंभ में इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुसूचित जनजातियों की अत्यधिक बहुलता वाले क्षेत्रों में, जो सामान्यतः कम आय स्तरों वाले हैं, आरंभ किया जाएगा फिर भी निगम ऐसे संयोजनात्मक/अवसंरचना संबंधी कार्यकलापों की स्थापना करना आरंभ कर सकता है, जो बड़ी संख्या में उद्यमियों को उस स्थापित अवसंरचना से सहायता प्राप्त करते हुए चुने हुए कार्यकलाप आरंभ करने के लिए समर्थ बनाएगा । इन परियोजनाओं को जहां तक संभव हो इसके प्रयासों के अनावश्यक विस्तार को रोकने के लिए क्लस्टरों में आरंभ किया जाएगा। कंपनी विशिष्ट परियोजनाओं को भी आरंभ करेगी, जो ट्राइफेड तथा इसी प्रकार के राज्य परिसंघों के विपणन कार्यकलापों को पारस्परिक रूप से सहायता प्रदान करेंगी ।

10. अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए तकनीकी रूप से, प्रबंधकीय रूप से, या वित्तीय रूप से अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, तकनीकी आर्थिक एवं संबंधित सर्वेक्षणों, प्रायोगिक परियोजनाओं सहित व्यवहारिक कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं को विकसित करने के लिए परियोजना रिपोर्टों एवं कागजातों, व्यवहार्यता तथा अन्य अध्ययनों का मूल्यांकन करने और तैयार करने संबंधी कार्य को आरंभ करना तथा/अथवा सहायता देना तथा इसके लिए विख्यात परामर्शदाताओं तथा/अथवा परामर्शक फर्मों को कार्य पर लगाने के माध्यम से ऐसे अध्ययनों को आरंभ करना तथा मूल रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक कल्याण के लिए अन्य राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की संस्थाओं को इस प्रकार की सहायता देना।

11. अनुसूचित जनजातियों के लिए रियायतों, अनुदानों, खरीद, वस्तु-विनियम, लाइसेंस, पट्टे या अन्यथा के द्वारा या तो पूर्ण रूप से, प्रतिबंधित रूप से, अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से देश की किसी भूमि के इलाके या इलाकों, संपदाओं, मकानों, फार्मों, वाच-राइट्स, वे-लीव्स तथा अन्य निर्माण कार्यों, विशेषाधिकारों, अधिकार दायित्वों तथा कोई मशीनरी, पौध, बर्तन, ट्रेड मार्कों या किसी प्रकार की चल तथा अचल संपत्ति, जो भारत के अंदर या बाहर कुछ भी हो, को प्राप्त करना तथा उसकी खोज, सर्वेक्षण, खेती या विकसित करना ।

12. किसी भूमि के संसाधनों को विकसित करना और उनका तथा कंपनी से संबंधित भूमि के अधिकारों का स्वच्छता, जल-निकास, घेराबंदी, सिंचाई, चराई के द्वारा तथा उसे उन्नत, सिंचित तथा कालोनियों और आवासों की स्थापना करने के द्वारा लाभ उठाना ।

13. फैक्टरियों, फार्मों, संपदाओं, बगीचों, वन, बागानों तथा अन्य स्थापनाओं या संस्थाओं का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संयुक्त तौर पर या उससे भिन्न रूप से प्रबंधन करना, किसी वन, कृषि या पशु उत्पादों या उप-उत्पादों का निर्माण करना ।

14. कंपनी के व्यवसाय, परियोजनाओं, योजनाओं या कार्यकलापों का या उसके किसी भाग का विक्रय, उसे प्राप्त, प्रारंभ या उसका निपटान या स्थानांतरण ऐसे प्रतिफल के लिए करना

जिसे कंपनी अन्य कंपनी एजेंसी या सामान्यतः ऐसी संस्थाओं को करना जिनके उद्देश्य पूर्णतया या अंशतः उसी प्रकार के हों जैसे कि कंपनी के हैं ।

15. कंपनी के या कंपनी के लाभ के लिए परिकलित किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी या किन्हीं संपत्तियों, अधिकारों तथा/अथवा देयताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए किसी कंपनी या कंपनियों को प्रोत्साहित करना तथा सहयोगी तथा/या सम्बद्ध एजेंसी (एजेंसियों) या अन्य में कंपनी द्वारा पारित, सृजित या प्राप्त परिसंपत्तियों को जैसाकि विशेष रूप से या उससे अन्यथा निश्चित किया जाए, वितरित करना यदि यह समाधान कर लें कि यह विशेष रूप से कंपनी के तथा सामान्य रूप से अनुसूचित जातियों के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करेगा ।

16. केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या भारत में कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी वाणिज्यिक या अन्य कंपनियों, निकायों, सत्ताओं, व्यक्तियों या संस्थाओं से कोई चार्टरों, विशेष अधिकारों, लाइसेंसों, एकाधिकारों, रियायतों, पेटेंटों तथा अन्य अधिकारों या शक्तियों के लिए आवेदन करना, उन्हें प्राप्त करना या धारित करना तथा इस प्रकार प्राप्त किसी शक्तियों, अधिकारों, विशेषाधिकारों का प्रयोग करना ।

17. कोई संपदाओं, भूमियों, बागानों, भवनों, मशीनरी, औद्योगिक इकाइयों, सड़कों, रेलों या रेल पट्टिकाओं या किसी अचल संपत्ति में अन्य हितों को कंपनी के लाभ के लिए क्रय, पट्टे पर प्राप्त या उससे अन्यथा प्राप्त करना और कंपनी की संपत्ति तथा परिसंपत्तियों या उनमें किसी अधिकारों को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जिन्हें कंपनी उपयुक्त समझे, बंधक रखना, पट्टे पर बेचना, किराए पर देना, हस्तांतरित करना या किसी रीति से प्रबंध करना ।

18. कंपनी और इसके लाभार्थी अनुसूचित जनजातियों के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक समझे जाने वाले कोई भवनों, शेडों, कार्यालयों, संयंत्रों, मशीनरी, नालियों, सड़कों, पुलों, पुलियाओं, रेल और रेल पट्टिकाओं, स्टालों, गोदामों, बाड़ों एवं सीमाओं तथा सभी अन्य संरचनाओं की खरीद या उससे अन्यथा प्राप्त, स्थापित, अनुरक्षित, निर्मित, मरम्मत या परिवर्तित करना ।

19. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(3), 58क तथा 292, तथा उसके अधीन बनाए नियमों और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अध्यधीन अनाहूत पूंजी या कोई प्रतिभूतियों को चुकाने, खरीदने या भुगतान करने सहित और खास तौर पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं सहायता एजेंसियों से अनुदानों, ऋणों, अग्रिमों, उधार तथा बांडों, डिबेंचरों या बंधकपत्रों को चाहे शाश्वत हों या उससे अन्यथा हों और कंपनी के अधिकारों या संपत्तियों पर कुल मिलाकर या किसी भाग पर प्रभारित हों या प्रभारित न हों, इस तरीके से तथा ऐसी शर्तों पर, जिसे कंपनी उचित समझे, बढ़ाना, उधार लेना या प्राप्त करना ।

20. कंपनी या इसकी शाखाओं के संवर्धन, गठन, पंजीकरण और स्थापना से प्रासंगिक सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों तथा जिसमें कोई आढ़त, दलाल का शुल्क, वकील के प्रभार,

परामर्श प्रभार शामिल हैं, का भुगतान करना तथा अनुसूचित जनजातियों तथा कंपनी के लिए व्यावसायिक विकास परियोजनाओं, योजना या कार्यकलाप को आरंभ करने में की गई या की जाने वाली सेवाओं के लिए या कंपनी के डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या कोई अन्य प्रतिभूतियों को रखने या रखने में सहायता करने में या किसी कारण के लिए या कंपनी के गठन और निगमन से पूर्व या प्रत्याशा में की गई व्यवस्था के लिए नकद या किसी अन्य ढंग से पारिश्रमिक देना, जिसे कंपनी उचित समझे या आकलन करे ।

21. राज्य या केन्द्रीय सरकार, बैंकों, कंपनियों, न्यासियों या व्यक्तियों से सहायता, अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्य धनराशि अथवा उससे अन्यथा उस पर बिना छूट या ब्याज के परंतु बैंकिंग का कार्य किए बिना या बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949(1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के आशय के अंतर्गत प्राप्त करना ।

22. कंपनी से संबंधित, उसे सौंपी गई या उसके व्ययन धनराशि को ऐसे व्यक्तियों या ऐसी कंपनियों को ऐसी शर्तों पर उधार देना या जमा करना, जो समीचीन समझे जाएं और विशेष रूप से ग्राहकों तथा कंपनी से संबंधित अन्य को प्रतिभूति के साथ या उसके बिना ऐसी शर्तों पर, जो उचित समझे जाएं, तथा किसी ऐसे व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा संविदाओं के निष्पादन की गारंटी देना परंतु बैंकिंग का कार्य नहीं करना, जैसाकि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में परिभाषित है ।

23. इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी के शेयरों या सट्टे के स्वरूप के अन्य निवेश से भिन्न कंपनी की धनराशि, जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो, का निवेश इस तरीके से करना, जिसे समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।

24. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान एवं प्रयोगों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों को स्थापित करना, अनुरक्षण करना, शुल्क देना या सब्सिडी देना या उनका सदस्य बनना ।

25. सरकार या अन्य प्राधिकरणों या किसी विनिर्माताओं, व्यापारियों, तथा/अथवा अन्य के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना और प्रत्येक किस्म तथा किसी प्रकार के एजेंसी व्यवसाय को करना ।

26. कंपनी के प्रचालनों या कार्यकलापों से जुड़े समस्त या कुछ व्यवसाय के योजना और विकास के संबंध में विशेषज्ञों, भारतीय या विदेशी परामर्शताओं को नियोजित करना या भुगतान करना ।

27. किसी मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, ऋण निधि, बीमा निधि, जोखिम निधि या किसी विशेष या अन्य निधि का सृजन, चाहे वह अनुसूचित जनजातियों को राहत के लिए हो या कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत, प्रतिस्थापन, सुधार, विस्तार या अनुरक्षण के लिए या

डिबेंचरों के मोचन के लिए, या किसी अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए हो, करना तथा ऐसी किसी निधि या उसके भाग को इसमें उल्लिखित अन्य निधियों को अंतरित करना ।

28. कंपनी के उत्पादों और वस्तुओं के लिए व्यापार चिन्हों या व्यापार नामों या ब्रांडों का इस्तेमाल करना तथा कंपनी के या किसी कंपनी, जिसमें कंपनी रुचि रखती हो, के व्यवसाय और उत्पादों की जानकारी कराने वाले ऐसे साधनों को विशेष रूप से समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापनों द्वारा, परिपत्रों द्वारा खरीद तथा रुचि के उत्पादों की प्रदर्शिनियों द्वारा, स्टालों को खोलने और प्रदर्शनी द्वारा, प्रकाशनों तथा पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं, कैलेंडरों, पंचांगों एवं डायरियों के वितरण द्वारा, सैम्पल के वितरण द्वारा तथा पुरस्कारों और पारितोषिकों द्वारा, जो समीचीन समझे जाएं, अपनाना ।

29. भविष्य निधि या अन्य निधियों की स्थापना करने के द्वारा धनराशि, पेंशनों या अन्य भुगतानों को मंजूर करने के द्वारा तथा शैक्षिक/पेशेवर/व्यावसायिक संस्थानों एवं मनोरंजन और अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सा और अन्य सहायता के लिए प्रावधान करने और अंशदान देने के द्वारा, जिसे कंपनी उचित समझे, कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व-कर्मचारियों तथा दंपत्तियों, विधवाओं, परिवारों या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों के कल्याण के लिए प्रावधान करना तथा किसी पूर्व या हितकारी उद्देश्य या किसी प्रदर्शनी या किसी सार्वजनिक प्रदर्शन या उपयोगी उद्देश्य या अन्यथा के लिए धनराशि का अंशदान करना ।

30. कंपनी के व्यवसाय और/या कार्यकलापों के दक्ष प्रबंधन और संचालन के लिए वन दरोगाओं, कृषकों, मालियों, इंजीनियरों, मैकेनिकों, राजमिस्त्रियों, काष्ठकारों, स्कैफल्ड सेंटरों, पेंटरों, इलेक्ट्रिशियनों तथा अन्य तकनीशियनों, विक्रेताओं, वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारियों, जो उपयुक्त समझे जाएं, को नियोजित करना ।

31. कंपनी के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सामग्री, वस्तुएं, मशीनरी, सामान तथा अन्य चीजों की खरीद हेतु आगे आना ।

32. कंपनी के उपकरणों एवं यंत्रों के किस्म सहित कंपनी की किसी या सभी संपत्तियों को किराए पर देना ।

33. कंपनी को, अपने किसी भी उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के गठन के किसी आशोधन को प्रभाव में लाने या प्रभावी बनाने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो समीचीन समझा जाए, समर्थ बनाने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को प्राप्त करना और आवेदन की किसी कार्यवाही, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी के हित और उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समझे जाएं, का विरोध करना ।

34. किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनियों या किसी बैंक या बैंकों के पास खाता खोलना तथा ऐसे खाते या खातों में धनराशि जमा करना या उसमें से आहरित करना ।

35. कंपनी की संपत्ति के किसी या सभी भागों, अधिकारों या रियायतों में सुधार लाना, प्रबंध करना, कार्य करना, विकसित करना, परिवर्तित करना, पट्टे पर देना, बंधक रखना, लेखे में बदलना, त्यागना या अन्यथा निपटाना ।

36. कंपनी अधिनियम, 1956 तथा भारत के संविधान के उपबंध के अध्यधीन धनराशि का अंशदान करना, शुल्क देना या गारंटी देना या अन्यथा पूर्त, हितकारी, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय या अन्य संस्थाओं या उद्देश्यों या किसी प्रदर्शनी के लिए या किसी सार्वजनिक या उपयोगी उद्देश्य के लिए सहायता देना ।

37. किसी देश, राज्य या भारत से बाहर के स्थान में कंपनी के पंजीकरण या अन्य मान्यता को प्राप्त करना ।

38. किसी देश या भारत के राज्य या विदेश में जहां कहीं ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन समझा जाए, रजिस्टर या रजिस्टरों को खोलना और रखना ।

39. किसी न्यास या उपक्रम, जो वांछनीय समझा जाए, को या तो निःशुल्क या अन्य प्रकार से प्रारंभ या कार्यान्वित करना ।

40. एतद्द्वारा प्राधिकृत सभी या किसी मामले को (विश्व के किसी भाग में) या तो अकेले या सहयोजन के साथ किसी अन्य कंपनियों, फर्मों, सत्ताओं या व्यक्तियों के लिए घटकों, न्यासियों या एजेंटों के रूप में या किसी घटकों, न्यासियों या एजेंसियों के द्वारा या माध्यम से करना ।

परंतु कंपनी अपनी निधियों से ऐसे किसी विनियम या प्रतिबंध, जो यदि कंपनी का कोई उद्देश्य उसे श्रमिक संघ बनाता हो, सहायता नहीं करेगी या अपने सदस्यों या अन्य पर उसे अधिरोपित या उसका पालन करने का प्रयास नहीं करेगी ।

परंतु यह और भी कि जैसाकि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में परिभाषित है, कंपनी बैंकिंग का व्यवसाय नहीं करेगी ।

ग. **अन्य उद्देश्य** - शून्य

IV. कंपनी के उद्देश्यों का विस्तार संपूर्ण भारत में है ।

V. 1. कंपनी की आय और संपत्ति जब कभी प्राप्त हो उसे एकमात्र रूप से इसके उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जैसाकि इसके ज्ञापन में निर्धारित किया गया है ।

2. उपर्युक्त आय या संपत्ति के किसी भाग का भुगतान या हस्तांतरण परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस या अन्यथा लाभ के रूप में ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी समय

कंपनी के सदस्य रहे हैं या ऐसे किसी को या उनमें से अधिक व्यक्तियों को या उनमें से किसी एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा ।

3. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कंपनी द्वारा अपने सदस्यों में से किसी व्यक्ति को, चाहे कंपनी के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या नहीं हो, जेब-खर्च, उधार दी गई राशि पर युक्तियुक्त एवं उचित ब्याज या कंपनी को किराए पर दिए गए परिसर पर युक्तियुक्त और उचित किराए के भुगतान को छोड़कर, कोई धनराशि या धनराशि के लायक कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा ।

4. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कंपनी का कोई सदस्य कंपनी के अंतर्गत किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे उप-नियम (3) द्वारा वर्जित वेतन, फीस, या किसी अन्य तरीके से पारिश्रमिक दिया जाता है ।

5. इस खंड में कोई बात कंपनी द्वारा अपने किसी अधिकारियों या कर्मचारियों (जो सदस्य नहीं हैं) या किसी अन्य सदस्य (जो सदस्य नहीं है) को कंपनी के लिए वास्तविक रूप से की गई किसी सेवाओं के बदले में युक्तियुक्त पारिश्रमिक के भुगतान को नहीं रोकेगी ।

क. कंपनी के इस संगम ज्ञापन में तथा संगम अनुच्छेद में कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस परिवर्तन को क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी कार्य विभाग को पहले प्रस्तुत एवं उनके द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो ।

VII सदस्यों का दायित्व सीमित है ।

VIII कंपनी की अंश पूंजी 500.00 करोड़ रुपए (पांच सौ करोड़ रुपए) होगी, जो 1000 रुपए (एक हजार रुपए) प्रत्येक के 50,,00,000 (पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी ।

IX कंपनी द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गई धनराशि की सभी राशियों का तथा उन मामलों का जिनके संबंध में ऐसी प्राप्तियाँ और व्यय होते हैं, और कंपनी की संपत्ति (संपत्तियों), परिसंपत्तियों, क्रेडिटों तथा देयताओं का लेखा रखा जाएगा; और किसी युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अध्यधीन निरीक्षण के ऐसे समय और तरीके से कंपनी के फिलहाल लागू विनियमों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा और ये लेखे सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे । प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार कंपनी के लेखे का परीक्षण किया जाएगा तथा तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखे की यथातथ्यता का पता उचित रूप से अर्हता प्राप्त एक या उससे अधिक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा लगाया जाएगा ।

X यदि कंपनी के बंद हो जाने या विघटन हो जाने पर, सभी ऋणों और देयताओं के समाधान के पश्चात चाहे जो भी संपत्ति हो उसे कंपनी के सदस्यों में वितरित नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसी अन्य कंपनी को दिया जाएगा या हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों की तरह ही हों, जिनका निर्धारण कंपनी के सदस्यों द्वारा विघटन के समय या उससे पहले या इसके अभाव में न्यायाधिकार के उस उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसने इस मामले में न्यायाधिकार प्राप्त कर लिया हो या प्राप्त कर ले ।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम, पते और विवरण यहां दिए गए हैं, इस संगम अनुच्छेद के अनुसरण में एक लाभमुक्त कंपनी को बनाने के इच्छुक हैं और हम कंपनी की पूंजी में क्रमशः हमारे अपने-अपने नामों के सामने दिए गए शेयरों की संख्या को लेने के लिए सहमत हैं ।

क्र.सं.	**अंशदाता का नाम, पता, विवरण तथा व्यवसाय**	**प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए जाने के लिए सहमत इक्विटी शेयरों की सं.**	**अंशदाता के हस्ताक्षर**	**साक्षी का नाम, पता विवरण तथा व्यवसाय और उसके हस्ताक्षर**
1.	भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-01 प्रतिनिधित्व : श्री एस.के. नाईक, पुत्र श्री आर.डी. नाईक, सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01	99 (निन्यानवे)	ह0	मैं साक्ष्य देता हूँ कि दोनों अंशदाताओं ने मेरी उपस्थिति में नई दिल्ली में 23.3.2001 को हस्ताक्षर किए हैं ।
2.	श्री एस. चैटर्जी पुत्र स्व0 श्री बी.के. चैटर्जी, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01	1 (एक) 100 एक सौ	ह0	ह0 (बी.एल. खत्री) एडवोकेट पुत्र स्व0 श्री एल.आर. खत्री, निवासी 67, नेहरू अपार्टमेंट, कालकाजी के सामने, नई दिल्ली-19

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 23.3.2001

(कंपनी अधिनियम, 1956)

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित लाभ मुक्त कंपनी)

संगम अनुच्छेद

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन

(कंपनी अधिनियम, 1956)

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन

का

संगम अनुच्छेद

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित लाभ मुक्त कंपनी)

रू. निर्वचन

1. इन अनुच्छेदों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके सामने लिखे हुए से है :

"बोर्ड" से कंपनी या किसी समिति का निदेशक मंडल अभिप्रेत है ।

"पूंजी" से कंपनी के प्रयोजन के लिए फिलहाल जुटाई गई या जुटाए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी अभिप्रेत है और इसमें कंपनी की प्रदत्त पूंजी शामिल है ।

"निष्पादक" या "प्रशासक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन-पत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया है ।

"वित्तीय वर्ष" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके संबंध में कंपनी का आय और व्यय लेखा इसकी वार्षिक साधारण बैठक में रखा जाता है, चाहे वह अवधि एक वर्ष हो या नहीं हो ।

"लिखत में" और "लिखित" में मुद्रण, लियोग्राफी तथा किसी दृश्य रूप में शब्दों का व्यपदेशन या प्रत्युत्पादन करने वाली अन्य रीतियाँ शामिल हैं ।

"माह" से अंग्रेजी कैलेंडर माह अभिप्रेत है ।

"व्यक्तियों" में व्यक्ति, निगम तथा अन्य विधिक सत्ताएं शामिल हैं ।

"राष्ट्रपति" से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत है ।

"रजिस्टर" से अधिनियम के अनुसार रखे जाने वाला सदस्य का रजिस्टर अभिप्रेत है ।

"कंपनी के विनियमों" से कंपनी के प्रबंधन के लिए फिलहाल प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत है ।

"अनुसूचित जनजाति" से ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भाग या समूह अभिप्रेत है और वे इसमें शामिल होंगी जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति का होना समझा जाता है।

"मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मोहर अभिप्रेत है ।

"शेयरों" से ऐसे अंश या स्टॉक अभिप्रेत हैं, जिनमें पूंजी तथा ऐसे शेयरों या स्टॉकों के ब्याज को विभाजित किया जाता है ।

"अधिनियम" या "उक्त अधिनियम" से फिलहाल प्रवृत्त कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके स्थान पर कोई अन्य अधिनियमिति अभिप्रेत है तथा इसके अधीन बनाए गए सभी नियम शामिल हैं ।

"कंपनी" या "निगम" से नेशनल शेडयूल्ड टाइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन अभिप्रेत है ।

"निदेशक" से कंपनी के फिलहाल निदेशक अभिप्रेत हैं ।

"सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ।

"कार्यालय" से कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अभिप्रेत है । एक वचन को द्योतित करने वाले शब्दों में बहु-वचन और एक वचन शामिल हैं ।

पुलिंग को द्योतित करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल हैं ।

अधिनियम में परिभाषित उपर्युक्त कोई शब्दों या अभिव्यक्तियों के विषय का अर्थ, जहां विषय या संदर्भ निषेध करता हो, के सिवाय,

वही है, जो इन अनुच्छेदों में दिया गया है ।

कंपनी एक सरकारी कंपनी होगी

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 की परिभाषा के अंतर्गत कंपनी एक सरकारी कंपनी होगी ।

सारणी "क" का लागू होना

3. अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सारणी "क" में अंतर्विष्ट विनियम, जहां तक वे इन अनुच्छेदों द्वारा/या के अधीन विशेष रूप से अपवर्जित किए गए हैं, प्रवृत्त होंगे ।

4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(त्त्) तथा धारा 2(35) के अर्थ के अंतर्गत एक निजी कंपनी होगी और तद्नुसार :-

(क) अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकारों को निर्बंधित करती है।

(ख) अपने सदस्यों की संख्या को पचास तक सीमित करती है और उसमें ये शामिल नहीं हैं -

(1) वे व्यक्ति जो कंपनी के रोजगार में हैं; तथा
(2) वे व्यक्ति जो कंपनी के रोजगार में रहते हुए उस रोजगार के समय कंपनी के सदस्य थे और रोजगार समाप्त होने के बाद सदस्य होना जारी रहे हैं; तथा

(ग) कंपनी के शेयरों में या उसमें डिबेंचरों के लिए जनता को अभिदाय करने हेतु किसी आमंत्रण को प्रतिषिद्ध करती है;

(घ) अपने सदस्यों, निदेशकों और उनके संबंधियों से भिन्न व्यक्तियों से किसी आमंत्रण या निक्षेपों के स्वीकरण को प्रतिषिद्ध करती है ।

5. कंपनी के प्रबंधन के लिए और उसके सदस्यों और उनके प्रतिनिधि के अनुपालन के लिए अनुच्छेद, अधिनियम द्वारा यथा विहित या अनुज्ञाप्राप्त विशेष प्रस्ताव द्वारा इसके अनुच्छेदों के निरसन या परिवर्तन या परिवर्धन के संदर्भ में कंपनी की कानूनी शक्तियों के किसी प्रयोग के अधीन रहते हुए, ऐसे होंगे जो इन अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट हैं ।

II. अंश पूंजी

प्राधिकृत अंश पूंजी

6. कंपनी की अंश पूंजी 500.00 करोड़ रुपए (पांच सौ करोड़ रुपए) होगी, जो 1000 रुपए (एक हजार रुपए) प्रत्येक के 50,00,000 (पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी ।

7. कंपनी की निधियों के किसी भाग को कंपनी के शेयरों को खरीदने में या प्रतिभूति पर ऋण देने में नहीं लगाया जाएगा । सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी शेयर को किसी धारक द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा परंतु यह निर्बंधन सरकार के नामनिर्देशिती के पक्ष में हस्तांतरणों पर लागू नहीं होगा ।

8. अधिनियम और इन अनुच्छेदों के उपबंधों तथा केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए शेयर निदेशक मंडल के नियंत्रणाधीन होंगे, जो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर आबंटित या अन्य प्रकार से उसका निपटान करेंगे, जिसे यह उचित समझें । निदेशक मंडल को किसी शेयर के संबंध में आहूत प्रत्येक धनराशि की राशि को नियत तथा दो कालों के मध्य अंतराल को निर्धारित करने का पूरा विवेकाधिकार होगा ।

शेयर प्रमाण-पत्र

9. 1. प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज है, आबंटन के तीन माह के अंतर्गत या स्थानांतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए दो माह के अंतर्गत (या ऐसी अन्य अवधियों के अंतर्गत, जिसकी व्यवस्था निर्गमन की स्थितियाँ करेंगी) बिना भुगतान के अपने सभी शेयरों के लिए एक प्रमाण-पत्र का हकदार होगा । उसके एक या उससे अधिक शेयरों के लिए प्रथम के बाद प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए एक रुपए के भुगतान पर प्रमाणपत्र भी जारी किए जा सकते हैं ।

2. प्रत्येक प्रमाणपत्र मुहरबंद होगा और उन शेयरों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनसे यह संबंधित है और राशि जिसका भुगतान उन पर किया गया है ।

नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

10. यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र विरूपित, गुम या नष्ट हो जाता है, तो इसे नवीकृत किया जा सकता है और यदि ऐसा प्रमाणपत्र गुम, नष्ट या विरूपित या विकृत या फटा हुआ साबित हो जाता है, तो उसे कंपनी को अभ्यर्पित किया जाता है । प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सकती है । यह सरकारी नामनिर्देशिती तक निर्बंधित होता है अतः कोई शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं है ।

11. कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र का निर्गमन) नियम, 1960 का उपबंध प्रवृत्त होगा ।

12. अपने शेयरों को अंतरित करने के सदस्यों के अधिकार को निम्नलिखित रूप से निर्बंधित किया जाएगा :

1. किसी सदस्य या अंतरण के हकदार अन्य व्यक्ति द्वारा किसी शेयर को केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है;

2. जैसाकि ऊपर कहा गया है, निदेशक मंडल अपने आत्यंतिक एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार से बिना कोई कारण बताए किसी शेयर (शेयरों) के अंतरण को रजिस्टर करने से इंकार कर सकता है;

3. कंपनी में शेयरों को कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्रारूप 1956 के अधीन विहित प्रारूप में अंतरित किया जाएगा । यह सरकारी नामनिर्देशितियों तक निर्बंधित होने के कारण कोई शुल्क प्रभारित करने की आवश्यकता नहीं है; तथा

4. जहां ऊपर के आधार पर जब कभी शेयर अंतरण होता है, वहां कंपनी सचिव या कंपनी के अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी ।

शेयरों का अंतरण

13. आसीन सदस्य की मृत्यु की दशा में, उसका शेयर धारण उसके उत्तराधिकारी/पदधारी को स्वतः न्यायगत होगा ।

III. पूंजी का परिवर्तन

पूंजी में वृद्धि करने की शक्ति

14. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन निदेशक मंडल किसी साधारण बैठक में कंपनी की स्वीकृति से शेयर पूंजी में ऐसी राशि के शेयरों में विभाजित की गई ऐसी धनराशि द्वारा वृद्धि कर सकता है जैसाकि संकल्प विहित करेगा ।

15. ऐसे निदेशों के अध्यधीन, जो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं, नए शेयर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा उससे उपाबद्ध अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से जारी किए जाएंगे जैसाकि साधारण बैठक में उसके सृजन करने का संकल्प करते हुए निर्दिष्ट किया जाएगा और यदि कोई निदेश नहीं दिया जाए तो, निदेशक मंडल उसे निर्धारित करेगा, परंतु ऐसे कोई वोट देने के अधिकारों या

कंपनी के अधिकारों वाले शेयरों का लाभांश, पूंजी या उससे अन्यथा जो अन्य शेयरों के धारकों के अधिकारों के असंगत हैं, जारी नहीं किया जाएगा ।

16. जब तक कि निर्गमन की दशाओं द्वारा या इन अनुच्छेदों के द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया हो, नए शेयरों के सृजन के द्वारा जुटाई गई किसी पूंजी को मूल पूंजी का भाग नहीं समझा जाएगा और कालों तथा किस्तों, अंतरण तथा पारेषण, लियन, वोटिंग, अभ्यर्पण तथा इससे अन्यथा के भुगतान के संदर्भ में इसमें दिए गए उपबंधों के अध्यधीन होंगे ।

अंश पूंजी में कमी

17. अधिनियम की धारा 100 से 104 के उपबंधों के तथा ऐसी दशाओं के अधीन रहते हुए जो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं, कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा समय-समय पर पूंजी का भुगतान करने या पूंजी, परिसंपत्तियों या अतिरिक्त को रद्द करने के द्वारा या शेयरों पर दायित्व को कम करने के द्वारा या उससे अन्यथा जो समीचीन समझा जाए, अपनी पूंजी में कमी करेगी और पूंजी का भुगतान इस तर्ज पर किया जाएगा कि इसकी पुनः मांग की जा सकती है तथा निदेशक मंडल अधिनियम के उपबंधों के अधीन शेयरों के अभ्यपर्ण को स्वीकार कर सकता है ।

18. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, कंपनी साधारण बैठक में अपने शेयरों और उनमें से किसी शेयर का समय-समय पर उप-विभाजन या समेकन करेगी और अधिनियम की धारा 94 द्वारा प्रदान की गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा इस प्रकार की शक्ति के प्रयोग का ऐसा नोटिस रजिस्ट्रार के पास दायर करेगी ।

IV. निधियाँ जुटाने की शक्ति

उधार लेने की शक्ति

19. अधिनियम की धारा 3(1) (त्त), 58क तथा 292 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित अधिकतम सीमाओं के अधीन निदेशक मंडल कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी राशि या धनराशि की राशियों को समय-समय पर उधार ले सकता है, भुगतान प्राप्त कर सकता है ।

20. निदेशक मंडल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं सहायता एजेंसियों से ऐसे तरीके से तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसी धनराशि को प्राप्त कर सकता है, जिसे यह उचित समझे और जो भारत सरकार द्वारा प्रावधान किए गए निदेशों के अनुसार हो । यह

ऐसा बांडों के जारी करने, शाश्वत या मोचनीय डिबेंचरों या डिबेंचर स्टॉक या कंपनी की समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग (वर्तमान तथा भावी दोनों), जिसमें फिलहाल इसकी अनाहूत पूंजी शामिल है, को वचनबंध पर बंधक पत्र, प्रभार या अन्य प्रतिभूति का सृजन करने के द्वारा भी ऐसा कर सकता है ।

21. डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बांड या अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी तथा उस व्यक्ति, जिसे वे जारी की जाएं, के मध्य किसी इक्विटियों से मुक्त समनुदेशनीय किया जा सकता है ।

22. ऐसे निदेशों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में जारी किए जाएं और अधिनियम की धारा 76 के अध्यधीन कोई डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, बांड या अन्य प्रतिभूतियों को छूट, प्रीमियम या इससे अन्यथा तथा मोचन, अभ्यर्पण, ड्राइंग, शेयर के आबंटन, निदेशकों की नियुक्ति या उससे अन्यथा के द्वारा जारी किया जा सकता है ।

किसी पूर्विक प्रभार पर व्यक्तियों की पूर्विकता न होना

23. जब कभी कंपनी की कोई अनाहूत पूंजी भारित हो तो उस पर कोई पश्चातवर्ती प्रभार लेने वाले व्यक्ति उसे पूर्विक प्रभार के अधीन लेंगे और ऐसे पूर्विक प्रभार को प्राप्त करने के लिए भी शेयर धारक या उससे अन्यथा नोटिस द्वारा हकदार नहीं होंगे ।

क्षतिपूर्ति दी जाएगी

24. यदि निदेशक या उनमें से कोई या कोई अन्य व्यक्ति कंपनी से प्राथमिक रूप से देय किसी राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाएगा तो निदेशक सरकार का पूर्ववर्ती अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात कंपनी की संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को किसी बंधक-पत्र, प्रतिभूति के प्रभारण या ऐसे दायित्व की किसी हानि के लिए जिम्मेदार होने वाले पूर्वोक्त निदेशकों या व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के द्वारा निष्पादित कर सकते हैं और निष्पादित करवा सकते हैं ।

V बैठकें

साधारण बैठकें

25. कंपनी प्रत्येक वर्ष किसी अन्य बैठक के अतिरिक्त अपनी वार्षिक साधारण बैठक के रूप में एक साधारण बैठक भी आयोजित करेगी । अतः इसे बुलाने के नोटिसों में एक वार्षिक साधारण बैठक से दूसरे वार्षिक साधारण बैठक के तारीख के बीच पन्द्रह माह समाप्त नहीं होंगे । कंपनी की पहली वार्षिक साधारण बैठक इसके निगमन की तारीख से अट्ठारह माह के अंतर्गत आयोजित की जाएगी और उसके बाद अधिनियम की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के

उपबंध के अधीन रहते हुए कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के अंतर्गत आयोजित की जाएगी । प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक सार्वजनिक अवकाश से भिन्न किसी दिन कामकाज के समय के दौरान या तो कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या नगर, कस्बे या ग्राम के किसी अन्य स्थान पर, जिसमें रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो, आयोजित की जाएगी ।

असामान्य बैठकें

26. उपर्युक्त साधारण बैठकों को "वार्षिक साधारण बैठक" कहा जाएगा। अन्य सभी साधारण बैठकें "असामान्य बैठकें" कही जाएंगी ।

27. निदेशक मंडल असामान्य बैठक जब यह उचित समझे बुला सकता है ।

28. जब कभी अधिनियम की धारा 169 के अनुसार कोई मांग लिखित रूप में प्राप्त होगी तो निदेशक मंडल असामान्य बैठक बुलाएगा ।

29. यदि निदेशक मंडल इस प्रकार प्राप्त की गई वैध मांग की तारीख से 21 दिनों के अंतर्गत बैठक बुलाने के लिए आगे नहीं आता है, जिसे उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिक से अधिक 45 दिनों में आयोजित किया जाना है, तो मांगकर्ता या उनका बहुमत या अधिनियम की धारा 169 की उपधारा (6) के उप-खंड (ख) द्वारा यथा अनुज्ञाप्राप्त स्वयं बैठक बुला सकते हैं परंतु तथाकथित कोई भी बैठक मांग प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के बाद आयोजित नहीं की जा सकती । अनुच्छेद के अधीन मांगकर्ताओं द्वारा बुलाई गई कोई बैठक यथासंभव उसी तरीके से आयोजित की जाएगी, जिस तरीके से निदेशक मंडल द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

बैठकों की सूचना

30. कम से कम सात दिन की सूचना (नोटिस) बैठक के स्थान, दिन और समय तथा विशेष कामकाज के मामले में अधिनियम की धारा 173 के अधीन स्पष्टीकरण टिप्पणी के साथ ऐसे कामकाज की सामान्य प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए इसमें इसके बाद उल्लिखित तरीके से, जैसाकि अधिनियम की धारा 172 द्वारा अपेक्षित है, ऐसे सदस्यों को दी जाएगी, जो विधि की दृष्टि में कंपनी से सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं ।

परंतु ऐसी सूचना किसी सदस्य को देने में आकस्मिक लोप या ऐसी सूचना की अप्राप्ति ऐसी बैठक में पारित प्रस्ताव या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं बना देगी ।

VI. साधारण बैठकों की कार्यवाहियाँ

साधारण बैठकों का कामकाज

31. वार्षिक साधारण बैठक का कार्य आय और व्यय लेखा, तुलन-पत्र, निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करना और उस पर विचार करना तथा कोई अन्य कार्य करना है जो इन अनुच्छेदों के अधीन वार्षिक साधारण बैठक में किए जाने चाहिए । ऐसी बैठक में किए गए सभी कार्य किसी असामान्य बैठक में किए गए सभी कार्य विशेष समझे जाएंगे । वार्षिक साधारण बैठक में सभी कार्य अधिनियम की धारा 173 के अनुसार किए जाएंगे ।

गणपूर्ति

32. किसी साधारण बैठक के लिए वैयक्तिक रूप से उपस्थित सदस्य, जिनमें से एक व्यक्ति राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा, गणपूर्ति(कोरम) होंगे ।

जब गणपूर्ति उपस्थित नहीं हो

33. यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के अंतर्गत गणपूर्ति उपस्थित न हो तो उपर्युक्त के अनुसार आयोजित की गई बैठक समाप्त कर दी जाएगी, परंतु किसी अन्य मामले में इसे आगामी सप्ताह में वही दिन, वही समय और स्थान के लिए, जैसा कि निदेशक मंडल निर्धारित करे, स्थगित किया जाएगा और ऐसी स्थगित बैठक में यदि गणपूर्ति उपस्थित न हो तो वे सदस्य जो उपस्थित हों, गणपूर्ति होंगे और वह कार्य करेंगे जिसके लिए बैठक आयोजित की गई थी ।

अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति का अधिकार

34. 1. राष्ट्रपति कंपनी के किसी या सभी बैठकों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों (जो आवश्यक नहीं है कि कंपनी के सदस्य हों) को समय-समय पर नियुक्त कर सकता है ।

2. इस अनुच्छेद के उपखंड(1) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों में एक व्यक्ति, जो वैयक्तिक रूप से बैठक में उपस्थित हो, को वोट देने का हकदार सदस्य और वैयक्तिक रूप से उपस्थित माना जाएगा और वही अधिकारों और शक्तियों (परोक्षी द्वारा वोट देने के अधिकार सहित) का प्रयोग करेगा जैसाकि वह कंपनी के सदस्य के रूप में कर सकता ।

3. राष्ट्रपति, अनुच्छेद के उपखंड (1) के अधीन किसी नियुक्ति को समय-समय पर रद्द या नई नियुक्तियाँ कर सकते हैं ।

4. भारत के संविधान में यथा उपबंधित राष्ट्रपति के अधिप्रमाणित

आदेश को पेश किए जाने को ऐसी उपयुक्त नियुक्ति या रद्दीकरण के पर्याप्त प्रमाण के रूप में कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा ।

साधारण बैठकों का अध्यक्ष

35. इस कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के नाते) साधारण बैठकों का अध्यक्ष होगा । यदि ऐसी बैठकों के लिए नियत समय के आधे घंटे के अंतर्गत वह उपस्थित न हो तो कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उक्त बैठक का अध्यक्ष होगा और यदि नियत समय के आधे घंटे के अंतर्गत वह भी उपस्थित नहीं होता, या उपस्थित तो होता है परंतु उक्त बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक न हो तो, बैठक में वैयक्तिक रूप से उपस्थित सदस्य (सदस्यगण) और/या प्राधिकृत प्रतिनिधि/परोक्षी (परोक्षीगण) उस बैठक के लिए उनमें से एक व्यक्ति का चयन अध्यक्ष के रूप में करेंगे ।

मतांकन

36. बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रश्न का निर्णय प्रथमतः हाथ उठाकर किया जाएगा तथा मतों के बराबर हो जाने के मामले में हाथ उठाए जाने तथा मतांकन (यदि कोई हो) दोनों के संबंध में अध्यक्ष का ऐसे वोट या वोटों, जिनके लिए एक सदस्य के रूप में वह हकदार हो सकता है, के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा ।

37. किसी साधारण बैठक में, बैठक के मत के लिए रखे गए प्रस्ताव का निर्णय हाथ उठाकर किया जाएगा जब तक कि मतांकन की हाथ उठाकर परिणाम की घोषणा से पूर्व या उसके पश्चात वैयक्तिक रूप से उपस्थित किसी सदस्य या परोक्षी (प्राक्सी) द्वारा या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसी मांग न की गई हो और जब तक कि किसी मतांकन में अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा की मांग न की गई हो कि प्रस्ताव को सर्वसम्मति से हाथ उठाकर या विशेष बहुमत द्वारा ले जाया गया है या कंपनी की कार्यवाहियों की पुस्तक में इस आशय की प्रविष्टि नहीं पा सका है, उस संकल्प के पक्ष या विरोध में दर्ज मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना इस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी ।

38. यदि मतांकन की विधिवत मांग की जाती है तो इसे इस तरीके से तथा ऐसे समय एवं स्थान तथा या तो तत्काल या एक अंतराल स्थगन के बाद या इससे अन्यथा लिया जाएगा जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निदेश दें और मतांकन के परिणाम को ऐसी बैठक का प्रस्ताव माना जाएगा जिसमें मतांकन की मांग की गई थी । किसी मतांकन की मांग को वापस लिया जा सकता है ।

39. बैठक के अध्यक्ष के चुनाव पर या स्थगन के किसी प्रश्न पर सम्यक रूप से की गई किसी मतांकन की मांग को बैठक में और बिना स्थगन के लिया जाएगा ।

40. किसी मतांकन की मांग, उस प्रश्न से भिन्न जिसके बारे में मतांकन की मांग की गई है, किसी कार्य को करने के लिए किसी बैठक को जारी रखने से नहीं रोकेगी ।

साधारण बैठकों का स्थगन

41. सदस्यों की सर्वसम्मति से साधारण बैठक का अध्यक्ष उसे समय-समय पर या एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थगित कर सकता है परंतु उस बैठक में अपूर्ण रह गए कार्य से भिन्न, जिसमें स्थगन हुआ था, कोई भी कामकाज किसी स्थगित बैठक में नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष का निर्णय निश्चायक होना

42. किसी बैठक का अध्यक्ष ऐसी बैठक में दिए गए प्रत्येक मत की विधिमान्यता का एकमात्र न्यायाधीश होगा । मतांकन के समय उपस्थित अध्यक्ष ऐसे मतांकन पर डाले गए प्रत्येक मत की विधिमान्यता का एकमात्र न्यायाधीश होगा ।

VII. सदस्यों के मत

43. वैयक्तिक रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य का हाथ उठाकर एक वोट होगा और एक मतांकन पर वैयक्तिक रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य या परोक्षी द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसके धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा ।

44. कोई भी सदस्य,जो वैयक्तिक रूप से उपस्थित न हो, हाथ उठाकर वोट देने का हकदार नहीं होगा ।

परोक्षी

45. किसी मतांकन पर वोट या तो वैयक्तिक रूप से या परोक्षी द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाएगा ।

46. किसी बैठक में उपस्थित होने और वोट देने का हकदार सदस्य अन्य व्यक्ति को (चाहे सदस्य हो या न हो) अपने परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है। कोई भी सदस्य एक ही अवसर पर उपस्थित होने के लिए एक परोक्षी से अधिक को नियुक्त नहीं करेगा । परोक्षी बैठक में बोलने और मतांकन को छोड़कर वोट देने का हकदार नहीं होगा । किसी परोक्षी को नियुक्त करने, संबंधी लिखत लिखित रूप में होगी और

नियुक्तिकर्ता या सम्यक रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी या यदि नियुक्तिकर्ता एक निकाय निगम हो तो उस पर उसकी सील लगी हो या किसी अधिकारी या इसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

47. परोक्षी को नियुक्त करने वाली लिखत या हस्ताक्षरित मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) या उस प्राधिकार की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में ऐसी बैठक आयोजित किए जाने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाएगी, जिसमें वोट देने के लिए प्रस्तावित लिखत में व्यक्ति नामित किया गया है, तथा इसके अभाव में परोक्षी की लिखत को विधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

48. परोक्षी की लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया वोट मालिक की पूर्व मृत्यु या परोक्षी के प्रतिसंहरण के होने पर भी विधिमान्य होगा बशर्ते कि मृत्यु या प्रतिसंहरण की कोई सूचना कंपनी के कार्यालय में बैठक से पहले प्राप्त नहीं की गई होगी ।

परोक्षी के लिए प्रारूप

49. किसी परोक्षी को नियुक्त करने वाली लिखत निम्नलिखित प्ररूप में या किसी अन्य प्रारूप में जिसे निदेशक मंडल अनुमोदन करेगा, होगीः

मैं ..... निवासी .... स्थान ..... नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन का सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को दिनांक ..... को आयोजित की जाने वाली कंपनी की (साधारण या असामान्य, जैसा भी मामला हो) साधारण बैठक में तथा किसी स्थगित बैठक में में अपने लिए या अपनी ओर से वोट देने के लिए अपने परोक्षी (प्रॉक्सी) के रूप में वोट देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ आज..... दिनांक ..... को हस्ताक्षरित ।

50. किसी वोट की विधिमान्यता के लिए उस बैठक या मतांकन को छोड़कर, जिसमें ऐसा वोट दिया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं की जाएगी तथा ऐसी बैठक या मतांकन में नामंजूर नहीं किए गए मत को चाहे वैयक्तिक रूप से दिया गया हो या परोक्षी द्वारा ऐसी बैठक या मतांकन, जो भी हो, को सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझा जाएगा ।

51. निदेशक मंडल के नोटिस द्वारा पारित कोई प्रस्ताव, जिसे इस तरीके से सदस्यों को दिया जाएगा, जिसमें नोटिसों को इसमें इसके बाद दिए जाने के लिए निदेशित किया जाता हो और जिसे इसके एक माह के अंतर्गत इस तरह पारित कर दिया गया हो, किसी मतांकन में वोट के 3/5 के हकदार सदस्यों द्वारा लिखित रूप में परिशोधित एवं पुष्ट किया गया हो, इतना विधिमान्य और प्रभावी होगा, जितना कि किसी साधारण बैठक का प्रस्ताव होता है, परंतु यह खंड कंपनी के परिसमापन करने संबंधी प्रस्ताव पर तथा किसी ऐसे मामले के संबंध में पारित प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा, जिस पर कानून द्वारा या इन अनुच्छेदों द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

VIII. निदेशक मंडल

निदेशकों की संख्या

52. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 252 के उपबंध के अधीन रहते हुए तथा कंपनी द्वारा किसी साधारण बैठक में जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, निदेशकों की संख्या दो से कम और बीस से अधिक नहीं होगी । निदेशकों से कोई अर्हतादायी शेयरों को लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है ।

(क) निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधि कंपनी के निदेशक मंडल में हो सकते हैं :

1. विशेष कार्य अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदाभिहित	1
2. अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य	3
3. राज्य अनुसूचित जनजाति निगम का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति (चक्रानुक्रम आधार पर)	1
4. नाबार्ड से प्रतिनिधि	1
5. आईडीबीआई से प्रतिनिधि	1
6. ट्राइफेड से प्रतिनिधि	1
7. संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	1
8. वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	1

(ख) कंपनी के प्रथम निदेशक होंगे :

1. श्री शिशिर कुमार नायक,
   (एस.के. नायक), सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय
2. श्री समीरेन्द्र चैटर्जी (एस. चैटर्जी), संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय ।

53. 1. निदेशकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

2. सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशक मंडल को पुनर्गठित किए जाने तक केवल सरकारी निदेशक कार्यभार ग्रहण करेंगे । परंतु कोई सरकारी निदेशक सरकारी सेवा से भारमुक्त होने पर या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो, स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएगा । अध्यक्ष सहित सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

3. केन्द्रीय सरकार की, अध्यक्ष सहित किसी निदेशक को हटाने की अपनी पूर्णतः विवेकाधीन शक्ति होगी ।

4. केन्द्रीय सरकार को किसी निदेशक के पद पर सेवानिवृत्ति, हटाए जाने, त्यागपत्र, मृत्यु या उससे अन्यथा द्वारा हुई किसी रिक्ति को भरने का अधिकार होगा ।

निदेशकों का पारिश्रमिक

54. 1. प्रत्येक निदेशक का पारिश्रमिक निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ऐसी फीस होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

2. निदेशक मंडल केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से उस निदेशक को जिसे कंपनी के कार्य के लिए या किसी बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए यात्रा करनी पड़ी हो, ऐसी धनराशि मंजूर तथा भुगतान करेगा, जिसे निदेशक मंडल ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसकी फीस के अतिरिक्त यात्रा, भोजन, ठहरने तथा अन्य व्यय के लिए उचित समझे और यदि किसी निदेशक को कंपनी के कार्य हेतु या बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए उस शहर से बाहर जाने

और निवास करने की अपेक्षा की जाए, जहां वह सामान्यतः निवास करता है, तो वह कंपनी के कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा या अन्य खर्चों का भुगतान या प्रतिपूर्ति किए जाने का पात्र होगा ।

IX. निदेशक मंडल की शक्तियाँ

55. 1. अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कंपनी का निदेशक मंडल सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और सभी ऐसे कार्यों और बातों को करने का हकदार होगा, जिन्हें कंपनी प्रयोग करने की हकदार होगी, परंतु निदेशक मंडल किसी शक्ति का प्रयोग और कोई कार्य नहीं करेगा, जो अधिनियम द्वारा या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या कंपनी के संगम ज्ञापन और अनुच्छेद द्वारा या उससे अन्यथा कंपनी द्वारा साधारण बैठक में प्रयोग करने या किए जाने के लिए निदेशित या अपेक्षित होगा।

परंतु यह भी कि ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने या ऐसा कोई कार्य करने में निदेशक मंडल, उसके पक्ष में अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम, या कंपनी के संगम ज्ञापन और अनुच्छेद में या कंपनी द्वारा साधारण बैठक में बनाए गए विनियमों सहित उससे संगत तथा सम्यक रूप से उसके अधीन बनाए गए विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंध के अध्यधीन होगा ।

2. कंपनी द्वारा साधारण बैठक में बनाया गया कोई विनियम, निदेशक मंडल के किसी पूर्ववर्ती कार्य को अविधिमान्य नहीं करेगा, जो यदि वह विनियम नहीं बनाया गया होता तो विधिमान्य हो गया होता/होगा ।

56. अंतिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों तथा इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :

संपत्ति का अर्जन/विक्रय

1. कंपनी के लिए संपत्ति(संपत्तियों)/अधिकार(अधिकारों) या विशेषाधिकारों, जिनके लिए कंपनी प्राधिकृत है, को क्रय, विक्रय, हस्तांतरण करना, पट्टे पर लेना या किराए पर देना या उससे अन्यथा अर्जन/निपटान ऐसी कीमत पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करना जिसे यह उपयुक्त समझे;

पूंजीगत स्वरूप का कार्य

2. किसी पूंजीगत स्वरूप के कार्यों को आरंभ करने के लिए इस शर्त पर प्राधिकृत करना कि विद्यमान परिसंपत्तियों तथा 10 लाख रुपए (दस लाख रुपए) से अधिक लागत वाली परिसंपत्तियों से भिन्न अचल परिसंपत्तियों के अर्जन पर अंतर्ग्रस्त व्यय के विशेष बजट को सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

बंधक-पत्र द्वारा संविदा प्राप्त करना

3. कंपनी द्वारा की गई किसी संविदाओं या वचनबंधों या प्रभार को ऐसे तरीके से प्राप्त करना, जिसे वे उपयुक्त समझें ।

अधिकारियों आदि को नियुक्त करना

4.(1) कार्य की अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए कंपनी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन समय-समय पर करना;

(2) अपने विवेक से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए नियुक्त करना तथा हटाना या निलंबित करना जैसाकि यह समय-समय पर उपयुक्त समझे तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्य की अपेक्षाओं तथा इस विषय पर जारी किए गए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना;

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्तों, भविष्य तथा अन्य निधियों को विनियमित करने वाले कंपनी के नियमों तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप अन्य नियमों को बनाना ।

न्यासियों को नियुक्त करना

5. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (चाहे निगमित हों या न हों) को कंपनी से संबंधित किसी संपत्ति के लिए या जिसमें यह हितबद्ध हो, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कंपनी के लिए स्वीकार करने या न्यास में रखने हेतु नियुक्त करना तथा ऐसे सभी विलेखों को निष्पादित करना एवं अन्य बातों को करना, जो किसी ऐसे न्यास के लिए अपेक्षित हों तथा ऐसे न्यासी या न्यासियों के पारिश्रमिक की व्यवस्था करना ।

कार्रवाई आदि लाना और प्रतिरक्षा करना

6. कंपनी या इसके अधिकारियों, या कंपनी के कार्यों से संबंधित या उससे अन्यथा द्वारा या विरोध में किसी विधिक कार्यवाहियों को स्थापित, संचालित, प्रतिरक्षित, प्रशमन या परित्यक्त करना और साथ ही कंपनी के द्वारा या इसके विरुद्ध किसी दावे या

मांग के भुगतान या समाधान के लिए प्रशमन करना तथा समय की अनुमति देना ।

माध्यस्थम को भेजना

7. कंपनी के द्वारा या इसके विरुद्ध किसी दावे या मांग को माध्यस्थम को भेजना तथा अधिनिर्णय का पालन, निष्पादन एवं कार्यान्वयन करना ।

8. कंपनी को देय धनराशि के लिए और कंपनी के दावों और मांगों के लिए रसीद बनाना तथा देना और निर्मुक्त और निर्मोचन करना ।

9. यह निर्धारित करना कि कंपनी की ओर से बिलों, रसीदों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों, चैकों, निर्मुक्तियों, संविदाओं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कौन हकदार होगा ।

एटर्नी नियुक्त करना

10. कंपनी के कार्यों के प्रबंधन के लिए समय-समय पर इस तरीके से व्यवस्था करना जो यह उपयुक्त समझे और विशेष रूप से कंपनी के एटर्नी या एजेंट (प्रत्यायोजित करने की शक्ति) होने के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों पर नियुक्त करना, जो यह उपयुक्त समझे ।

निधियों का निवेश करना

11. सरकार द्वारा किए गए इसके पक्ष में ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए प्रतिभूतियों (शेयरों या अन्य सट्टे वाले निवेशों को छोड़कर) सरकारी कंपनियों में, या किसी अन्य अनुसूचित बैंक या बैंकों या निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से निर्धारित किए जाने वाले बैंकों की सहायिकाओं में आहूत डिपोजित रखने तथा आवर्ती/ बचत खाता खोलने के लिए निवेश करना और कंपनी के संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद द्वारा प्राधिकृत ऐसे निवेश पर कंपनी की किसी धनराशि से निपटने के लिए ऐसे निवेश में समय-समय पर इस तरीके से परिवर्तन और निवेश करना, जो यह उपयुक्त समझे ।

कारबार बेचना/खरीदना

12. केन्द्रीय सरकार की सम्मति से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए, कंपनी के कारबार संबंधी कार्यकलाप, यदि कोई हो, या उसके किसी भाग और विशेष रूप से किसी कंपनी, जिसके उद्देश्य कुल मिलाकर या अंशतः कंपनी के समान हों, के शेयरों, डिबेंचरों या प्रतिभूतियों के ऐसे प्रतिफल के लिए, जैसाकि कंपनी उचित समझे, बेचना या निपटना या अंतरित करना ।

क्षतिपूर्ति के माध्यम से बंधकपत्रों को निष्पादित करना

13. कंपनी की संपत्ति (वर्तमान और भावी) के ऐसे बंधकपत्रों को कंपनी के नाम में और उसकी ओर से किसी निदेशक या अन्य व्यक्ति, जो कंपनी के लाभ के लिए किसी दायित्व को उपगत करे या उपगत करने को हो, के पक्ष में सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, जैसाकि यह उपयुक्त समझे, निष्पादित करे तथा ऐसे बंधक-पत्र में विक्रय की शक्ति या ऐसी अन्य शक्तियाँ, औचित्य और प्रावधान होंगे, जिन पर सहमति होगी ।

14. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए कंपनी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को किसी विशेष कारबार के संव्यवहार के लाभ पर कमीशन या कंपनी के सामान्य लाभों में एक अंश देना तथा ऐसा अंश कंपनी के कार्य व्यय के भाग के रूप में समझा जाएगा ।

उपविधियाँ बनाना

15. कंपनी के कारबार, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियम के लिए समय-समय पर उपविधियाँ बनाना, परिवर्तित करना और निरसन करना ।

16. कंपनी के नाम में और उसकी ओर से सभी ऐसी वार्ताओं तथा संविदाओं में शामिल होना तथा सभी ऐसे संविदाओं को विखंडित करना तथा ऐसे सभी कार्यों, विलेखों एवं बातों को कार्यान्वित करना जो वे कंपनी के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त तथा इससे भिन्न किसी मामलों के लिए या संबंध में समीचीन समझें ।

17. कंपनी के वार्षिक राजस्व और पूंजीगत व्यय, बजट, विकास की वार्षिक योजनाओं तथा दीर्घकालिक योजनाओं को अनुमोदित करना ।

शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना

18. फिलहाल इसे प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को प्रत्यायोजित करना तथापि, इसके द्वारा प्रतिधारित किए जा रहे अंतिम नियंत्रण एवं प्राधिकार के अधीन रहते हुए करना।

19. निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 292 और 297 के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे सदस्यों या उनके निकाय के सदस्यों से गठित किसी को कोई शक्तियाँ, जैसाकि वे उपयुक्त समझें

प्रत्यायोजित कर सकते हैं, इस प्रकार गठित कोई समितियां इस रीति से प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में उन विनियमों के अनुरूप होंगी जो निदेशक मंडल द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएं । ऐसी समितियों की कार्यवाहियाँ आगामी बैठक में निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत की जाएंगी ।

केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित शक्तियाँ

57. उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक मंडल केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिए निम्नलिखित आरक्षित रखेगा :

1. कंपनी के संपूर्ण तथा सारभूत रूप में संपूर्ण वचनबंध का विक्रय, पट्टा, निपटान;

2. एक सहायक कंपनी का गठन ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

58. 1. केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को (राज्य विधान मंडल या संसद के सदस्यों को छोड़कर) कंपनी के कामकाज के प्रबंधन के संचालन हेतु निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण के नियंत्रण के अध्यधीन ऐसी अवधि के लिए या ऐसे निबंधनों पर नियुक्त करेगी, जो यह उपयुक्त समझे ।

2. इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कंपनी के कार्यों के संबंध में ऐसी शक्तियों और विवेकाधिकारों का प्रयोग करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा, जो निदेशक मंडल द्वारा उसे/उन्हें विशिष्ट रूप से प्रत्यायोजित किए गए हैं और अधिनियम के अधीन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा साधारण बैठक में किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ।

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को, जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जा सकता है ।

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के छुट्टी पर या उससे अन्यथा होने पर केन्द्रीय सरकार कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रधान अधिकारी को उसके सभी कार्य करने के लिए सशक्त करेगी ।

X. वित्तीय आयुक्त और मुख्य लेखा अधिकारी

59. केन्द्रीय सरकार वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त करेगी जो यह उपयुक्त समझे तथा समय-समय पर उसे हटाकर उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर सकती है ।

XI. कंपनी सचिव

60. अधिनियम के लागू उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर एक कंपनी सचिव नियुक्त किया जा सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझे तथा इस प्रकार नियुक्त किसी सचिव को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हटाया जा सकता है ।

XII. कार्यवृत्त

61. अधिनियम की धारा 193 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल कंपनी की सभी साधारण बैठकों और साथ ही सभी अधिकारियों की नियुक्तियों के तथा निदेशकों एवं समितियों की सभी बैठकों की कार्यवाहियों और उनमें उपस्थिति तथा ऐसी बैठकों में किए गए समस्त कार्य के उचित कार्यवृत्त तैयार करवाएगा और साधारण बैठक के कोई ऐसे कार्यवृत्त ऐसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा ऐसी साधारण बैठकों के समापन से 30 दिनों के अंतर्गत हस्ताक्षरित किए जाएंगे या उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल या निदेशकों की समिति के कार्यवृत्तों के मामले में बैठक के अध्यक्ष या उत्तरवर्ती बैठकों के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यिक कार्यवृत्त उनमें बताए गए तथ्यों के किसी अतिरिक्त सबूत के बिना निश्चायक साक्ष्य होंगे ।

XIII. सील

62. 1. निदेशक मंडल के प्रस्ताव के प्राधिकारी द्वारा तथा कम से कम एक निदेशक की उपस्थिति में के सिवाय किसी लिखत (शेयर प्रमाणपत्र से भिन्न) पर सील (मोहर) नहीं लगाई जाएगी, परंतु फिर भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कोई निदेशक जहां कहीं विधिक रूप से अपेक्षित हो किसी लिखत (शेयर प्रमाणपत्र से भिन्न) पर सील लगाएगा । शेयर प्रमाणपत्र के मामले में (क) दो निदेशकों तथा (ख) इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त सचिव या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में सील लगाई जाएगी ।

2. निदेशक मंडल सील की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबंध करेगा ।

XIV. निदेशकों की निरर्हता

63. किसी निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि :

1. किसी सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा उसे विकृतचित होना पाया जाता है;

2. वह एक दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णित होने के लिए आवेदन करता है;

3. वह एक दिवालिया न्यायनिर्णित हो जाता है;

4. भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कम से कम छः माह के लिए उसके संबंध में कैद की सजा पाता है;

5. वह निदेशक मंडल से अपनी अनुपस्थिति की छुट्टी लिए बिना निदेशक मंडल की तीन लगातार बैठकों से और निदेशक मंडल की सभी बैठकों से 3 माह की लगातार अवधि के लिए, जो भी अधिक हो, अनुपस्थित रहता है;

6. वह या कोई फर्म, जिसमें वह भागीदार है या कोई निजी कंपनी, जिसका वह एक निदेशक है, कंपनी से ऋण के लिए कोई ऋण या कोई गारंटी या प्रतिभूति स्वीकार करता है;

7. वह कंपनी द्वारा/या कंपनी की ओर से की गई किसी संविदा या करार या प्रस्ताव या ठेके या इंतजाम में अपने संबंध या हित का खुलासा करने में असफल होता है, जैसाकि अधिनियम की धारा 229 के अधीन अपेक्षित है;

8. वह अधिनियम की धारा 203 के अधीन न्यायालय के आदेश द्वारा निरर्हित हो जाता है;

9. अधिनियम की धारा 284 के अनुसरण में उसे हटाया जाता है;

10. वह कंपनी के साथ संविदा के लाभ में संबंधित है या भाग लेता है;

11. वह सेवानिवृत्त हो गया है, उसने त्यागपत्र दे दिया है या उससे अन्यथा उसे उस सरकारी पद से हटा दिया गया है, जिसके कारण वह निदेशक मंडल में नामांकित किया गया था ।

कोई निदेशक, अपने पद को किसी ऐसी कंपनी का सदस्य होने के कारण रिक्त नहीं करेगा, जिसने उस कंपनी के साथ संविदा की हो या उसके लिए कार्य किया हो, जिसका वह निदेशक है, किसी ऐसी संविदा या कार्य के संबंध में मत नहीं देगा और यदि वह ऐसा करता है तो उसके मत की गणना नहीं की जाएगी ।

उपर्युक्त उप-खंड 3, 4, 8 में उल्लिखित निरर्हता प्रभाव में नहीं आएगी :

क. न्याय निर्णयन, दंडादेश या आदेश की तारीख से 30 दिनों के लिए;

ख. जहां उपर्युक्त 20 दिनों के अंतर्गत न्यायनिर्णयन या दंडादेश, दोषसिद्धि या आदेश का परिणाम देने वाली दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की जाती है, वहां उस तारीख से जिस पर ऐसी अपील या याचिका का निपटारा होता है, सात दिनों की समाप्ति तक; या

ग. जहां उपर्युक्त सात दिन के अंतर्गत न्याय-निर्णयन, दंडादेश, दोषसिद्धि या आदेश के संर्भ में कोई आगे अपील या याचिका प्रस्तुत की जाती है तथा ऐसी अपील या याचिका, यदि स्वीकृत हो जाती है, तो ऐसी आगे की गई अपील या याचिका का निपटारा हो जाने तक वह निरर्हता हट जाएगी ।

XV. निदेशक मंडल की कार्यवाहियाँ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की बैठकें आदि

64. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में सचिव किसी भी समय निदेशक मंडल की बैठक आयोजित कर सकता है । किसी बैठक में उठने वाले प्रश्नों पर मतों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा ।

निदेशक मंडल की बैठकें तथा उनकी सूचना

65. निदेशक मंडल की आवश्यकता आधारित बैठकें आयोजित की जाएंगी। तथापि, प्रत्येक तीन कैलेंडर माहों के अंतर्गत कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी । तथापि, निदेशक मंडल की

प्रत्येक बैठक की सूचना फिलहाल भारत में निदेशक के भारत के सामान्य पते पर भेजी जाएगी ।

बैठक के लिए गणपूर्ति

66. कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) उसकी संख्या (कुल संख्या) जैसाकि अधिनियम में निर्धारित है तथा उस एक तिहाई में किसी अंश को एक मानते हुए) का एक तिहाई या दो निदेशकगण, जो भी अधिक हों, होगी, परंतु जहां किसी समय इच्छुक निदेशकों की संख्या बढ़ जाती है या कुल संख्या के दो तिहाई के बराबर हो जाती है तो शेष निदेशकों की संख्या जो इच्छुक नहीं है तथा दो से कम नहीं है, ऐसे समय के दौरान गणपूर्ति होगी ।

67. निदेशक मंडल की फिलहाल वह बैठक, जिसमें गणपूर्ति विद्यमान है, कंपनी के अनुच्छेदों के द्वारा या अधीन निदेशक मंडल द्वारा फिलहाल सामान्य रूप से निहित या प्रयोग किए जाने योग्य किसी या सभी प्राधिकारों, शक्तियों और विवेकाधिकारों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगी ।

निदेशक मंडल की बैठकों का अध्यक्ष

68. 1. कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक मंडलों की बैठकों का अध्यक्ष होगा । यदि वह उपस्थित हो परंतु अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक न हो तो उपस्थित सदस्य अध्यक्ष के रूप में एक निदेशक को चुनेंगे ।

2. यदि निदेशक मंडल की बैठक में उसे आयोजित किए जाने के समय के बाद 30 मिनट के अंतर्गत अध्यक्ष उपस्थित न हो, तो वरिष्ठतम निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

समितियों की बैठकों का अध्यक्ष

69. यदि काई अध्यक्ष नामनिर्देशित नहीं किया जाता है या यदि किसी बैठक में ऐसा नामनिर्देशित अध्यक्ष उसे आयोजित किए जाने के लिए नियत समय के पश्चात 30 मिनट के अंतर्गत उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकते हैं ।

70. निदेशक मंडल या निदेशकों की समिति की किसी बैठक द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य, इसके होने पर भी कि बाद में यह पता चलता है कि ऐसे निदेशकों या उपर्युक्त के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की नियुक्ति में कुछ त्रुटि थी या यह कि वे या उनमें कोई व्यक्ति निरर्हित था, ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और निदेशक होने के लिए अर्हित हो, परंतु इस

अनुच्छेद में कोई बात एक निदेशक द्वारा किए गए कार्यों को विधिमान्यता प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसकी नियुक्ति कंपनी के लिए अविधिमान्य हो या समाप्त कर दी गई हो ।

परिचालन द्वारा प्रस्ताव

71. सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रस्ताव, अधिनियम की धारा 289 के अधीन उसी तरह विधिमान्य और प्रभावपूर्ण होगा मानो यह निदेशक मंडल की सम्यक रूप से बुलाई गई और आयोजित की गई बैठक में पारित किया गया हो ।

XVI. आरक्षित एवं अन्य निधियाँ

72. निदेशक मंडल कंपनी के व्यय से आय के आधिक्य/लाभों में से या अन्य प्रकार से, ऐसी राशियों को, जैसी वह उपयुक्त समझे, आकस्मिक व्ययों को पूरा करने या कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत, सुधार या व्यवस्था के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन्हें निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेक से कंपनी के हित में अनुकूल समझे, एक आरक्षित निधि के रूप में अलग रख सकता है तथा इस तरह अलग रखी गई विभिन्न राशियों को ऐसे निवेशों (किसी कंपनी के शेयरों या सट्टे के स्वरूप के निवेशों से भिन्न) लगा सकता है जैसाकि वह समय-समय पर उपयुक्त समझे तथा ऐसे निवेशों में परिवर्तन कर सकता है और कंपनी के कार्य में उनके किसी भाग का या सबका निपटान कर सकता है तथा आरक्षित निधियों को ऐसी विशेष निधियों में विभाजित कर सकता है जैसाकि यह उपयुक्त समझे और आरक्षित निधियों को या उसके किसी भाग को कंपनी के कार्य में लगा सकता है तथा यह कि उक्त को अन्य परिसंपत्तियों से पृथक रखने के लिए बाध्य नहीं है ।

XVII. लेखा

73. कंपनी निम्नलिखित के संदर्भ में लेखा बहियाँ रखवाएगी :

1. कंपनी द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गई सभी राशियाँ तथा वे मामले, जिनके संबंध में प्राप्ति और व्यय होता है ।
2. ऋणों और अग्रिमों के अभिलेख ।
3. कंपनी द्वारा वस्तुओं के अभिलेख का क्रय-विक्रय ।
4. कंपनी की परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ।

लेखा बहियों का निरीक्षण

74. लेखा बहियाँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे निदेशक मंडल उपयुक्त समझेगा, रखी जाएंगी तथा निदेशकों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

सदस्यों द्वारा निरीक्षण

75. निदेशक मंडल समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि क्या तथा किस सीमा तक तथा किस समय एवं स्थानों और किन स्थितियों और विनियमों में कंपनी की बहियाँ या उनमें से कोई ऐसे सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी जो निदेशक नहीं हैं ।

वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र

76. निदेशक मंडल कंपनी के समक्ष वार्षिक साधारण बैठक में एक तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा कंपनी के निगमन के बाद किसी तारीख को, जो 18 माह से अधिक न हो, तथा उसके बाद प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा । अधिनियम की धारा 166 तथा 210 के उपबंधों के अधीन पहला लेखा कंपनी के निगमन की तारीख से तैयार किया जाएगा और किसी अन्य मामले में पूर्ववर्ती लेखे के बाद वाले लेखे को बैठक के बाद अधिक से अधिक 6 माह में प्रस्तुत किया जाएगा ।

निदेशक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट

77. निदेशक मंडल, कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा वह धनराशि, यदि कोई हो, जिसे यह पश्चातवर्ती तुलन-पत्र में दर्शाए जाने के लिए आरक्षित निधि, सामान्य निधि या आरक्षित लेखे में ले जाने का प्रस्ताव करता है, के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करके उसे प्रत्येक तुलन-पत्र के साथ संलग्न करेगा । यह रिपोर्ट, यदि निदेश मंडल इस बारे में अपनी ओर से प्राधिकृत करता है तो निदेशक मंडल की ओर से निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ।

78. अधिनियम की धारा 211 के उपबंधों तथा उसमें निर्दिष्ट अनुसूची 6 के अध्यधीन कुल आय की धनराशि को उन अनेक स्रोतों में श्रेणीबद्ध करते हुए, जिनसे वह प्राप्त हुई है तथा वर्ष की आय के मुकाबले कुल व्यय की धनराशि को स्थापना, वेतन एवं उचित रूप से प्रभार्य व्यय की प्रत्येक मद जैसे विषयों के खर्चों को श्रेणीबद्ध करते हुए, अत्यंत सुविधाजनक शीर्षों के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखा तैयार किया जाएगा ताकि आय एवं व्यय का एक न्यायसंगत तुलन-पत्र बैठक के समक्ष रखा जा सके तथा जहां व्यय की मद, जो कई वर्षों तक औचित्यपूर्ण ढंग से वितरित है, वहां ऐसी मद की पूरी धनराशि का इस कारण को जोड़ते हुए उल्लेख किया जाएगा कि ऐसे व्यय के केवल एक भाग को वर्ष की आय में से क्यों वसूल किया गया है ।

तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा सदस्यों को भेजा जाना

79. कंपनी ऐसे तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ कंपनी के प्रत्येक सदस्य के पंजीकृत पते पर उस बैठक, जिसमें यह कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखी जानी है, से कम से कम चार दिन पहले इस रीति से भेजेगी जैसी कि उसके तहत सूचनाएं दी जानी होती हैं ।

XVIII. लेखा परीक्षा

80. प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के लेखे की लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा आय एवं व्यय लेखे और तुलन-पत्र की शुद्धता एक या अधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

81. केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर कंपनी के लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनः नियुक्त किए जाएंगे तथा उसका/उनका पारिश्रमिक, अधिकार एवं कर्त्तव्य अधिनियम की धारा 224 से 233 द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।

82. कंपनी के लेखा-परीक्षक कंपनी की किसी साधारण बैठक की सूचना पाने तथा उसमें उपस्थित होने के हकदार होंगे, जिसमें उनके द्वारा परीक्षित या प्रतिवेदित कोई लेखे कंपनी के समक्ष रखे जाने हैं तथा उस लेखे के संदर्भ में वे अपनी इच्छानुसार कोई वक्तव्य या स्पष्टीकरण दे सकते हैं ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ

83. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :

(क) उस रीति के बारे में निदेश करना जिसमें यहां वर्णित अनुच्छेद 81 के अनुसरण में नियुक्त लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकों द्वारा कंपनी के लेखे की लेखा परीक्षा की जाएगी तथा ऐसे लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकों को उसके/ उनके कार्यों के निष्पादन से जुड़े किसी मामले के संबंध में उसी तरह अनुदेश देना ।

(ख) कंपनी के लेखे की, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह इस बारे में प्राधिकृत करे, पूरक या परीक्षण लेखा-परीक्षा अवधियों तथा ऐसी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए सभी उचित अवधियों पर सभी लेखे, लेखा बहियों, वाउचरों, दस्तावेजों तथा कंपनी के अन्य मामलों पर इस तरह प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तथा ऐसे रूप में जैसा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश करें, उपलब्ध कराने के लिए सूचना या अतिरिक्त सूचना की मांग करना ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ/या अनुपूरक टिप्पणियाँ साधारण बैठक के सामने रखा जाना

84. उपर्युक्त लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकगण अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेंगे, जिसे इस पर, उस रीति से जिसे वह उचित समझे, टिप्पणियाँ करने या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की कमी पूरी करने का अधिकार होगा। ऐसी कोई टिप्पणियाँ या लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष उस समय तथा उसी रीति से जैसे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, रखी जाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखा जाना

85. केन्द्रीय सरकार कंपनी की कार्यप्रणाली तथा कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाने के बारे में सुनिश्चित करेगी कि :

(क) इसे अपनी वार्षिक साधारण बैठक, जिसमें लेखा-परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, के तीन माह के अंतर्गत तैयार किया जाए, तथा

(ख) ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और अनुच्छेद 84 में निर्दिष्ट टिप्पणियों तथा अनुपूरक टिप्पणियों के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाए ।

86. कंपनी के प्रत्येक लेखे के लेखा परीक्षित होने तथा एक साधारण बैठक द्वारा अनुमोदित होने पर अंतिम रूप से तय माना जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जब उसमें अनुमोदन के बाद अगले तीन माह के अंतर्गत कोई गलती पता चलती है । जब कभी निर्धारित अवधि के अंतर्गत ऐसी गलती पता चलती है तब लेखे को तत्काल ठीक किया जाएगा और तभी से इसे अंतिम रूप से तय माना जाएगा ।

XIX. केन्द्रीय सरकार के अधिकार

87. इन अनुच्छेदों में से किसी में भी कुछ होते हुए, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसाकि वह कंपनी के वित्त, कार्य संचालन तथा कार्यों के बारे में जरूरी समझती है तथा उसी रीति से ऐसे निदेशों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है । इस तरह जारी किए गए निदेशों पर कंपनी तत्काल अमल करेगी । विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी :-

(त) राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े मामलों में कंपनी के कार्यों की निष्पादन स्थिति एवं इसके तरीके के बारे में कंपनी को निदेश देना;

(त्त) कंपनी की संपति तथा गतिविधियों के बारे में ऐसी रिपोर्टें, लेखे और अन्य सूचनाओं को मांगना जो समय-समय पर अपेक्षित हों;

(त्त्त) कंपनी के राजस्व बजट को अनुमोदित करना यदि उसमें कमी का कोई तत्व ऐसा है, जिसे सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के द्वारा पूरा किया जाना प्रस्तावित हो;

(त्द्ध) कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी सहयोग वाले करारों को अनुमोदित करना ।

XX. सूचनाएं

88. कंपनी द्वारा किसी सदस्य को सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर, या (यदि उसका कोई रजिस्ट्रीकृत पता नहीं है) उसे सूचना देने के लिए उसके द्वारा कंपनी को दिए गए पते पर, यदि कोई हो, दी जा सकती है ।

89. रजिस्ट्रीकृत शेयर का कोई धारक, जिसके पते का कोई रजिस्ट्रीकृत पता नहीं है, ठीक पहले वाले अनुच्छेद के अर्थ के भीतर, अपने पते के पंजीकृत स्थान की सूचना समय-समय पर लिखित में दे सकता है ।

90. प्रत्येक साधारण बैठक की सूचना कंपनी के प्रत्येक सदस्य को इसमें इसके पहले प्राधिकृत उसी रीति से दी जाएगी ।

91. कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित रूप में किए जा सकते हैं ।

92. प्रत्येक व्यक्ति,जो विधि के प्रवर्तन, अंतरण या अन्य साधन द्वारा किसी शेयर का हकदार हो जाएगा, ऐसे शेयरों के संबंध में प्रत्येक सूचना के द्वारा आबद्ध होगा, जो पहले उसके नाम और पते तथा उसके अभिनाम पर कंपनी को सूचित किए जाने के कारण सम्यक रूप से उस व्यक्ति को दिया गया था, जिससे ऐसे शेयर के लिए यह अपना हक प्राप्त करता है ।

93. जहां दिए गए दिनों की संख्या की सूचना या सूचनाओं को किसी अन्य अवधि तक बढ़ाया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया गया हो, उसे तामील करने के दिन की गणना इसी प्रकार के दिनों की संख्या या अन्य अवधि में की जाएगी ।

XXI. समापन

94. यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए अब इसकी और आगे जरूरत नहीं है या उसे विश्वास हो जाए कि वह इन अनुच्छेदों के तहत बनाए गए उपबंधों के अनुसार तथा विधि के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो वह कंपनी का समापन कर सकती है । केन्द्रीय सरकार समापन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी जो उस रीति को भी स्पष्ट करेगी, जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का निपटान और या संचालन किया जाएगा ।

XXII. गोपनीयता संबंधी खंड

95. कोई सदस्य कंपनी के किसी मामले की गतिविधियों के ऐसे किसी ब्यौरे का पता लगाने या ऐसी किसी सूचना की मांग करने का हकदार नहीं होगा, जो व्यावसायिक गुप्त बात, व्यावसायिक मर्म या गुप्त प्रक्रिया के स्वरूप के हो सकते हैं और कंपनी के कार्य संचालन से संबंधित हो सकते हैं, जिनका निदेशक मंडल की राय में जनता तक पहुंचना कंपनी के सदस्यों के हित में असमीचीन होगा ।

XXIII. क्षतिपूर्ति संबंधी खंड

96. अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कंपनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, लेखा परीक्षक, सचिव तथा अन्य अधिकारी या कर्मचारी की कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा निदेशक मंडल का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कंपनी की निधियों में से उन सभी लागतों, हानियों तथा खर्चों का भुगतान करे, जो ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी संविदा के कारण या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा किए गए किस कार्य या बात के कारण या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह करने पड़े हों या इनका उत्तरदायी हो गया हो, उपलब्ध कराई गई है, तत्काल कंपनी की संपत्ति के ऊपर ग्रहणाधिकार के रूप में संलग्न हो जाएगी और उसे सभी सदस्यों के बीच सभी दावों के ऊपर वरीयता प्राप्त होगी ।

97. कोई निदेशक या कंपनी का अन्य अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार नहीं होगा : कंपनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, लापरवाहियों या चूकों के लिए या विधि के अनुरूप किसी प्राप्ति या अन्य कार्य से जुड़ने के लिए, या कंपनी के लिए तथा उसकी ओर से निदेशक मंडल के आदेश द्वारा अर्जित किसी संपत्ति के हक में न्यूनता या कमी के कारण से कंपनी को होने वाली हानि या खर्चों के लिए, या किसी प्रतिभूति जिसमें या जिस पर कंपनी की कोई धनराशियाँ निवेश की जाएंगी, में न्यूनता या कमी के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके पास कोई धनराशियाँ, प्रतिभूतियाँ या चल संपत्तियाँ जमा की जाएंगी, दिवालियापन, त्रुटि से उत्पन्न किसी घाटे या क्षति के लिए या उसकी ओर से निर्णय या असावधानी की किसी गलती से हुए किसी नुकसान या ऐसे किसी अन्य नुकसान, क्षति या दुर्भाग्य के लिए, जो भी हों, जो उसके पद के कार्यों के निष्पादन के कारण या उससे संबंधित हों, जब तक कि ऐसा उसकी ही घोर उपेक्षा, जानबूझ कर चूक, गंभीर अपकरण, जानबूझकर कर्त्तव्य भंग या विश्वास भंग के कारण न हुआ हो ।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम, पते और विवरण यहां दिए गए हैं, इस संगम अनुच्छेद के अनुसरण में एक लाभमुक्त कंपनी को बनाने के इच्छुक हैं और हम कंपनी की पूंजी में क्रमशः हमारे अपने-अपने नामों के सामने दिए गए शेयरों की संख्या को लेने के लिए सहमत हैं ।

क्र.सं.	**अंशदाता का नाम, पता, विवरण तथा व्यवसाय**	**प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए जाने के लिए सहमत इक्विटी शेयरों की सं.**	**अंशदाता के हस्ताक्षर**	**साक्षी का नाम, पता विवरण तथा व्यवसाय और उसके हस्ताक्षर**
1.	भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-01 प्रतिनिधित्व : श्री एस.के. नाईक, पुत्र श्री आर.डी. नाईक, सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01	99 (निन्यानवे)	ह0	मैं साक्ष्य देता हूँ कि दोनों अंशदाताओं ने मेरी उपस्थिति में नई दिल्ली में 23.3.2001 को हस्ताक्षर किए हैं ।
2.	श्री एस. चैटर्जी पुत्र स्व0 श्री बी.के. चैटर्जी, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01	1 (एक) 100 एक सौ	ह0	ह0 (बी.एल. खत्री) एडवोकेट पुत्र स्व0 श्री एल.आर. खत्री, निवासी 67, नेहरू अपार्टमेंट, कालकाजी के सामने, नई दिल्ली-19

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 23.3.2001

अध्याय - 8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संबंधी मैनुअल

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन
एनबीसीसी टॉवर, 5वां तल, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - 110066

(भारत सरकार का उपक्रम - जनजातीय कार्य मंत्रालय)
दूरभाष नं. 26712519, 26177177
फैक्स नं. 26712574

आंचलिक कार्यालय :

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरसीसी बिल्डिंग, प्रथम तल, हेंगराबाड़ी रोड, गुवाहटी - 781005, **असम** **फोन : 0361-2595011**	**नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन,** 103/79, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर - 302020 राजस्थान फोन/फैक्स : 0141-780203
नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, चौथा तल, तेलुगु समक्षेम भवन, मासब टैंक, **हैदराबाद - 500028** **आंध्र प्रदेश** **फोन/फैक्स : 040-3396088**	**नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन,** दूसरा तल, राजीव गांधी भवन परिसर-2, 35, श्यामला हिल्स, **भोपाल,** **मध्य प्रदेश** **फोन/फैक्स : 0755-763701**

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन,
प्लाट नं. 396 (पार्ट), गराज छक, राजारानी नगर, ओल्ड टाऊन,
भुवनेश्वर - 751007
उड़ीसा
फोन : 0674-2342132